मनोरंजन कर विभाग

जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों में प्रवेश हेतु, देय राज्य माल और सेवा कर(एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(43)/17 दिनांक 09 अगस्त, 2017)

जनोपयोगी एवं समाज के लिये पथ–प्रदर्शक एवं सार्थक सन्देश देने वाली फिल्मों का प्रदर्शन समय–समय पर होता रहता है और ऐसी फिल्मों को कम टिकट दरों पर दर्शको को उपलब्ध कराये जा सकने पर समाज के अधिकांश हिस्से तक इन्हें प्रसारित किये जाने में मदद मिलेगी तथा अपेक्षित संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुॅचाया जा सकता है। ऐसी फिल्मों पर जब तक दर्शकों को टिकट मूल्य में राहत नहीं दी जायेगी, तब तक जन–सामान्य में अपेक्षित संदेश पहुॅचाये जाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी।

उ0 प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के दिनांक 01.07.2017 से प्रवृत्त होने, के फलस्वरूप मनोरंजन कर माल और सेवा कर में संविलीन हो गया है। उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम,2017 की धारा 174 द्वारा उ0प्र0 आमोद एवं पण कर अधिनियम 1979 को निरसित कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट प्रदान किये जाने वाले समस्त शासनादेश स्वमेव निष्प्राभावी हो गय हैं। अब फिल्मों पर कोई भी कर छूट प्रदान करने की शक्ति उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम 2017

धारा–11 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत जी.एस.टी परिषद में निहित है परन्तु यदि राज्य सरकार किसी फिल्म के प्रदर्शन को अपेक्षाकृत कम टिकट मूल्य पर दर्शको को उपलब्ध कराना चाहती है, तो वह सम्बंधित सिनेमाघरों को उनके द्वारा दर्शकों से बिना वसूल किये, जमा कराये गये राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति कर सकती है।

प्रतिपूर्ति की सुविधा निम्नलिखित श्रेणी की फिल्मों को प्रदान की जा सकती है–

(1) द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिग्रहीत फिल्म।

(2) भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म।

(3) अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म।

(4) भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म।

(5) समाज कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो।

(6) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन. एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में, जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो।

(7) अन्य लोकहित की जनोपयोगी, समाज के लिये पथ–प्रदर्शक एवं सार्थक संदेश देने वाली ऐसी फिल्में, जिनका अधिकांश दर्शकों द्वारा देखा जाना सार्वजनिक हित में आवश्यक हो।

(8) ऐसी फिल्में जिनका प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन किया गया हो।

उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाली फिल्मों, जिनका चयन सरकार द्वारा किया जाये, में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर, जिसे सिनेमाघरों द्वारा, दर्शकों से वसूल किये बिना अपने पास से राजकोष में जमा किया गया है, के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति कतिपय शर्तो के अधीन किये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2017 के माध्यम से की गयी है।

एतद्विषयक शासनादेश दिनांक 09.08.2017 ''शासनादेश'' लिंक पर उपलब्ध है।